GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal

ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 4
July - August: 2026

सीधी जिले की जनजातियों में प्रचलित पारंपरिक एवं आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं का सामाजिक-राजनीतिक अध्ययन

अनुराग पटेल
अतिथि व्याख्याता
शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी, दुर्ग (छ.ग.)

सारांश (Abstract)

प्रस्तुत शोध पत्र मध्य प्रदेश के सीधी जिले की अनुसूचित जनजातियों – विशेष रूप से गोंड, कोल एवं बैगा में प्रचलित पारंपरिक एवं आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं का समाज-राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन यह दर्शाता है कि प्रथागत ग्राम सभा, कुल-परिषद एवं मुखिया-केंद्रित शासन-व्यवस्थाएँ आज भी सामाजिक विवाद-समाधान एवं संसाधन-प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, जबकि संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था, पेसा अधिनियम (PESA), 1996 एवं प्रातिनिधिक लोकतांत्रिक संस्थाएँ औपचारिक शासन-ढांचे का निर्माण करती हैं। दोनों तंत्रों के मध्य सह-अस्तित्व, भूमिका-पुनर्व्याख्या एवं तनाव की प्रवृत्तियाँ इस अध्ययन का केंद्रीय विषय हैं।

मुख्य शब्द (Keywords): सीधी जिला, जनजातीय स्वशासन, पेसा अधिनियम, पारंपरिक संस्थाएँ, पंचायती राज, कोल , गोंड,

1. भूमिका

भारत की जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सदियो से शासन दोहरी संरचना के अंतर्गत कार्यरत रहा है एक ओर पुरानी प्रथागत स्वशासन-व्यवस्थाएँ हैं, तथा दूसरी ओर स्वतंत्रता-पश्चात विकसित वे संवैधानिक-प्रशासनिक ढांचा है जो वर्तमान जनजातियों के शासन व्यवस्था को संभाल रहा है ।

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 4
July - August: 2026

मध्य प्रदेश का सीधी जिला, जो विंध्य क्षेत्र में स्थित तथा 90% से अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जनजातीय-बहुल जिला है, यहां भी दोहरी शासन-संरचना का प्रतिनिधि उदाहरण मिलता है। जिले में कई जनजातियां जैसे गोंड, कोल, बैगा, धानवार, कवार, कोरवा, मऊसी एवं पनिका निवासरत हैं, जिनमें से गोंड मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तथा कोल तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति होने के साथ ही सीधी की सबसे बड़ी जनजाति भी है।

यह अध्ययन इस बात की पड़ताल करता है कि इन जनजातियों में प्रचलित पारंपरिक राजनीतिक संस्थाएँ किस प्रकार संरछित हैं, आधुनिक संवैधानिक संस्थाएँ किस रूप में कार्यरत हैं, तथा दोनों तंत्रों की अंतःक्रिया से किस प्रकार का सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य निर्मित होता है।

2. सीधी जिले की जनजातीय पृष्ठभूमि

सीधी जिला मध्य प्रदेश के उत्तर-पूर्वी भाग में विंध्य क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें सिहावल, बहरी, चुरहट, गोपद-बनास, रामपुर नैकिन, मझौली, मड़वास, एवं कुशमी सहित लगभग आठ तहसीलें सम्मिलित हैं। जिनसे कुल 1092 गांव हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या लगभग 11.27 लाख है, जिसमें 90% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा साक्षरता दर लगभग 66% दर्ज की गई है। सरकारी जनजातीय आँकड़ा-तालिकाओं में सीधी को अनुपातिक रूप से उच्च अनुसूचित जनजाति उपस्थिति वाले जिलों में गिना गया है, जिसमें गोंड, कोल एवं बैगा प्रमुख समुदाय हैं। विश्व बैंक की मध्य प्रदेश जनजातीय विकास रणनीति रिपोर्ट के अनुसार पूरे राज्य में गोंड सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि कोल एवं कवार जैसे समुदाय अन्य प्रमुख समूहों में सम्मिलित हैं।

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 4
July - August: 2026

2.1 जनगणना आँकड़े एवं सामाजिक संरचना के निहितार्थ

2011 की जनगणना के अनुसार सीधी जिले में अनुसूचित जनजाति (ST) जनसंख्या का हिस्सा जिले की कुल जनसंख्या का लगभग 27.80% है, जबकि अनुसूचित जाति (SC) जनसंख्या लगभग 11.55% है। यह आँकड़ा सीधी को मध्य प्रदेश के अत्यधिक जनजातीय-सघन जिलों में सम्मिलित करता है, जो राज्य के समग्र ST-अनुपात (लगभग 21.1%) से भी उल्लेखनीय रूप से अधिक है। राज्य-स्तर पर देखें तो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों में भील सबसे बड़ा समूह है, उसके पश्चात गोंड तथा फिर कोल जनजाति तीसरे स्थान पर आती है; बैगा जनजाति राज्य की कुल ST जनसंख्या का अपेक्षाकृत छोटा किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिस्सा (लगभग 2.7%) बनाती है। सीधी एवं विंध्य क्षेत्र में भील की उपस्थिति नगण्य है, जबकि गोंड, कोल एवं बैगा तीनों का सह-अस्तित्व इस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है।

इस जनसांख्यिकीय संरचना का सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थ महत्वपूर्ण है। पहला, लगभग 28% ST-जनसंख्या तथा 90% से अधिक ग्रामीण आबादी का संयोजन यह दर्शाता है कि सीधी जिले में स्थानीय शासन-व्यवस्था चाहे प्रथागत हो या संवैधानिक, व्यावहारिक रूप से जनजातीय सामाजिक जीवन से गहनता से जुड़ी हुई है, न कि किसी सीमांत अथवा अपवाद-स्वरूप समूह तक सीमित है। दूसरा, एक साथ अनेक जनजातियों (गोंड, कोल, बैगा आदि) की उपस्थिति यह संकेत देती है कि जिले की प्रथागत राजनीतिक संरचना एकल-सजातीय (homogeneous) नहीं, अपितु बहु-स्तरीय एवं बहु-समुदायी (plural) है, अर्थात प्रत्येक जनजाति की अपनी पृथक ग्राम सभा, कुल-परिषद एवं मुखिया-व्यवस्था समानांतर रूप से कार्यरत हो सकती है, जिससे एक ही भौगोलिक क्षेत्र में शासन की बहुलता (governance plurality) उत्पन्न होती है। तीसरा, यह

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal

ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 4
July - August: 2026

बहुलता आधुनिक प्रातिनिधिक संस्थाओं (पंचायत, विधानसभा) में भी प्रतिबिंबित होती है, जहाँ विभिन्न जनजातियों के मध्य राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं संसाधन-हिस्सेदारी को लेकर प्रतिस्पर्धा अथवा गठबंधन की संभावना बनी रहती है विशेष रूप से जब आरक्षित सीटों की संख्या सीमित हो तथा अनेक जनजातियाँ समान श्रेणी (ST) के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा करती हों।

3. पारंपरिक राजनीतिक संस्थाएँ

मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्राचीन समय से ही विशेष रूप से गोंड, बैगा एवं कोल में गाँव-केंद्रित प्रथागत शासन-संरचनाएँ संचालित होती रही हैं, ये प्रथाएं तथा संरचना मध्यप्रदेश के साथ ही साथ सीधी क्षेत्र में भी विविध रूपों में विद्यमान हैं।

3.1 ग्राम-आधारित प्रथागत पंचायत एवं परिषद

ग्राम सभा अथवा समूह पंचायत एक या अनेक टोलों के वयस्क सदस्यों (अनेक स्थानों पर अब महिलाओं सहित) की अनौपचारिक पंचायत है, जिसका कार्य सामाजिक नियंत्रण, परंपरा-अनुशासन, विवाद-समाधान तथा सामूहिक श्रम एवं वन-उपयोग के नियमया निर्धारण करना है। इसके समानांतर कुल अथवा वंश-आधारित परिषद कुछ जनजातियों, जैसे बैगा एवं गोंड, में गोत्र-स्तर पर सलाह-मशविरा मंच के रूप में कार्य करती है, जो अंतर-गोत्रीय विवाह एवं भूमि-विवाद जैसे विषयों पर नियम और प्रशासन कार्य देखती है।

3.2 पारंपरिक पद एवं भूमिकाएँ

प्रथागत शासन-व्यवस्था के अंतर्गत भूमिकाओं की एक स्पष्ट संरचना पाई जाती है। मुखिया, नायक अथवा पटेल गाँव या बस्ती के प्रमुख होते हैं, जो राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासन जैसे बाहरी तंत्रों से संपर्क का मुख्य माध्यम होने के साथ-साथ आंतरिक विवादों में अंतिम

ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 4
July - August: 2026

निर्णय की भूमिका भी निभाते हैं। इनके सहयोग हेतु बुज़ुर्गों की एक सलाहकार परिषद कार्य करती है, जो मुखिया के साथ मिलकर निर्णय लेती है तथा एक प्रकार की सामुदायिक 'कैबिनेट' के रूप में कार्य करती है। इसके समानांतर पुजारी, बैगा अथवा भुमिया जैसे धार्मिक-सांस्कृतिक पद त्योहार, देव-स्थल एवं वन-भूमि से जुड़ी पवित्र प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं, तथा भूमि-वन संबंधी विवादों में इनका प्रभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय होता है। इन सभी के साथ संदेशवाहक अथवा कोटवार पंचायत बुलाने, निर्णय सुनाने तथा सरकारी सूचनाओं को गाँव तक पहुँचाने का कार्य करते हैं , यह भूमिका प्रथागत एवं आधुनिक तंत्र के मध्य एक सूचना-सेतु का कार्य भी करती है।

बैगा जनजाति पर हुए अध्ययन के बतातें हैं कि उनकी पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था नायक, पुजारी, बुज़ुर्ग परिषद एवं ग्राम सभा पर आधारित है। पेसा अधिनियम के पश्चात ग्राम सभा को औपचारिक कानूनी मान्यता प्राप्त हुई, किंतु ज़मीनी स्तर पर आज भी प्रथागत तंत्र रोज़मर्रा के विवाद-समाधान में अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। इसी प्रकार की संरचनाएँ स्थानीय नामों के साथ गोंड एवं कोल जनजाति में भी पाई जाती हैं, जिनकी उपस्थिति सीधी क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।

3.3 प्रथागत संस्थाओं के कार्य-क्षेत्र

प्रथागत संस्थाओं का कार्य-क्षेत्र मुख्यतः चार आयामों में विस्तृत है। पहला, विवाद-समाधान के अंतर्गत विवाह-संबंधी विवाद, भूमि-सीमा एवं वन-उपयोग संबंधी झगड़े, तथा मामूली सामाजिक अपराधों का निपटान किया जाता है, जिसमें प्रायः माफी, सामाजिक भोज अथवा आर्थिक जुर्माने जैसे समाधान अपनाए जाते हैं। दूसरा, सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत विवाह-नियम, बालविवाह-निषेध एवं नशा-निवारण जैसे सामाजिक मानदंडों का निर्धारण किया जाता है। तीसरा, संसाधन-

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 4
July - August: 2026

प्रबंधन के क्षेत्र में वन-उत्पाद संग्रहण – जैसे महुआ, तेंदूपत्ता एवं लकड़ी – की मात्रा तथा विधि पर स्थानीय नियम बनाए जाते हैं, साथ ही सामूहिक चारागाह-भूमि का प्रबंधन भी इसी के अंतर्गत आता है। चौथा, सांस्कृतिक-धार्मिक कार्यों में उत्सव, पूजा-पाठ एवं पारंपरिक संस्कारों का आयोजन, तथा बाह्य सांस्कृतिक प्रभावों पर सामूहिक प्रतिक्रिया तय करना सम्मिलित है। यह चतुर्आयामी कार्य-क्षेत्र दर्शाता है कि प्रथागत संस्थाएँ केवल विवाद-निपटान तक सीमित नहीं, अपितु सामुदायिक जीवन के समग्र नियमन का कार्य करती हैं।

4. आधुनिक राजनीतिक संस्थाएँ

4.1 पंचायती राज व्यवस्था

भारत के 73वें संविधान संशोधन के पश्चात मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जो सीधी जिले में भी समान रूप से कार्यरत है – ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा (निर्वाचित सरपंच व पंच, जो मनरेगा, आवास एवं ग्राम-विकास योजनाओं पर निर्णय लेते हैं), जनपद पंचायत (विकासखंड स्तर, जैसे बहरी, चुरहट, मझौली, कुशमी), तथा जिला पंचायत (जिला-स्तरीय योजना-स्वीकृति एवं संसाधन-आवंटन) अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए इन संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था है, जिससे सीधी सहित आदिवासी-बहुल क्षेत्रों में सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एवं विधायक जैसे पदों पर जनजातीय नेतृत्व में वृद्धि हुई है।

4.2 पेसा अधिनियम (PESA)

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा को वन-उत्पादों पर नियंत्रण, जल-जंगल-ज़मीन संबंधी निर्णय, शराब-बिक्री पर नियंत्रण, छोटे विवादों के निपटान तथा भूमि-अधिग्रहण एवं पुनर्वास पर राय देने जैसे विशेष अधिकार प्रदान किए

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 4
July - August: 2026

गए हैं। मध्य प्रदेश ने पेसा के अनुरूप राज्य कानून बनाए हैं, किंतु अनेक अध्ययन दर्शाते हैं कि कागज़ी प्रावधान सशक्त होने के बावजूद व्यावहारिक क्रियान्वयन कमज़ोर है। प्रशासनिक तंत्र प्रथागत शासन-पद्धतियों को पर्याप्त महत्व नहीं देता, तथा खनन, भूमि-अधिग्रहण एवं विस्थापन के दबाव से प्रथागत संस्थाएँ क्रमशः कमज़ोर होती जा रही हैं। एक प्रमुख नीतिगत विश्लेषण के अनुसार देशभर के पेसा-क्षेत्रों में ग्राम सभा की शक्तियों का वास्तविक क्रियान्वयन प्रशासनिक-राजनीतिक अनिच्छा, विभागीय टकराव एवं कॉरपोरेट हितों से बाधित होता है, जिससे प्रथागत आदिवासी शासन-व्यवस्था का क्षरण तीव्र गति से हुआ है।

4.3 प्रातिनिधिक लोकतांत्रिक संस्थाएँ

सीधी जिले से विधानसभा क्षेत्र निकलते हैं, जिनमें कुछ सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रही हैं, जिससे दलगत राजनीति में भी जनजातीय प्रत्याशियों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त जिला लोकसभा क्षेत्र के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़ाव रखता है। इनके साथ-साथ सहकारी समितियाँ (तेंदूपत्ता एवं लघु वनोपज), स्व-सहायता समूह, वनाधिकार समितियाँ (वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत) एवं विद्यालय प्रबंधन समितियाँ भी स्थानीय राजनीतिक-सामाजिक नेतृत्व के उभरने हेतु मंच प्रदान करती हैं।

5. पारंपरिक एवं आधुनिक संस्थाओं की अंतःक्रिया एवं परिवर्तन

उपलब्ध साहित्य से चार प्रमुख प्रवृत्तियाँ स्पष्ट होती हैं, जिन्हें सीधी जिले के संदर्भ में समझा जा सकता है। पहली प्रवृत्ति दोनों तंत्रों के सह-अस्तित्व की है। अनेक गाँवों में प्रथागत ग्राम सभा एवं संवैधानिक ग्राम पंचायत साथ-साथ कार्यरत रहती हैं, जहाँ छोटे सामाजिक विवाद प्रथागत पंचायत के माध्यम से तथा सरकारी योजनाएँ आधुनिक पंचायत के माध्यम से निपटाई जाती हैं। दूसरी

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal

ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 4
July - August: 2026

प्रवृत्ति भूमिकाओं की पुनर्व्याख्या के रूप में सामने आती है, जिसमें पारंपरिक मुखिया अथवा नायक स्वयं अथवा उनके परिजन निर्वाचित सरपंच या पंचायत सदस्य के पद पर पहुँच जाते हैं, जिससे दोनों तंत्र क्रमशः एक-दूसरे में घुल-मिल जाते हैं, यद्यपि कहीं-कहीं दलगत राजनीति पारंपरिक सामूहिक सहमति की प्रक्रिया को खंडित भी करती है।

तीसरी प्रवृत्ति महिलाओं की भागीदारी में असंतुलन से संबंधित है संवैधानिक आरक्षण के कारण औपचारिक पंचायत संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जबकि प्रथागत परिषदों में यह आज भी अपेक्षाकृत सीमित बना हुआ है। अनेक स्थानों पर औपचारिक निर्वाचन के बावजूद वास्तविक निर्णय-शक्ति 'सरपंच-पति' अथवा परिवार के पुरुष सदस्यों के पास केंद्रित रहती है, यद्यपि शिक्षा के प्रसार के साथ जनजातीय महिलाएँ धीरे-धीरे निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने लगी हैं। चौथी प्रवृत्ति कानूनी बनाम प्रथागत अधिकारों के मध्य तनाव के रूप में प्रकट होती है, वनाधिकार अधिनियम एवं पेसा जैसे कानून काग़ज़ पर ग्राम सभा को सशक्त बनाते हैं, किंतु प्रशासनिक अमल प्रायः इन्हें एक औपचारिक बैठक तक सीमित रख देता है; खनन, बांध एवं सड़क-निर्माण जैसी विकास-परियोजनाओं में ग्राम सभा की 'पूर्व-सूचित सहमति' की उपेक्षा से जनजातीय समुदायों में असंतोष उत्पन्न होता है तथा प्रथागत संस्थाएँ स्वयं को हाशिए पर अनुभव करती हैं।

हाल के शोध यह भी दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश की जनजातियों में राजनीतिक चेतना एवं अधिकार-जागरूकता तीव्र गति से बढ़ी है – वे अब केवल कल्याण-योजनाओं के प्राप्तकर्ता नहीं, अपितु नीति-निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी चाहने लगे हैं, जो सामुदायिक संगठनों एवं मोर्चों के

निर्माण में परिलक्षित होता है। यह उभरती चेतना पारंपरिक एवं आधुनिक संस्थाओं के मध्य भविष्य में एक अधिक संतुलित एवं समावेशी संबंध की संभावना का संकेत देती है।

6. निष्कर्ष एवं नीतिगत निहितार्थ

सीधी जिले की जनजातियों में पारंपरिक एवं आधुनिक राजनीतिक संस्थाएँ पृथक-पृथक नहीं, अपितु एक-दूसरे से गुंथी हुई दोहरी संरचना के रूप में कार्यरत हैं। प्रथागत ग्राम सभा, कुल-परिषद एवं मुखिया-केंद्रित व्यवस्थाएँ आज भी सामाजिक जीवन के अनेक पक्षों को नियंत्रित करती हैं, जबकि संवैधानिक पंचायती राज एवं पेसा अधिनियम औपचारिक शासन-ढांचे का निर्माण करते हैं। दोनों तंत्रों के मध्य सह-अस्तित्व, अनुकूलन एवं तनाव की सह-उपस्थिति यह दर्शाती है कि जनजातीय स्वशासन को समझने के लिए इसे केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित न रखकर, प्रथागत संस्थाओं की सतत भूमिका के साथ समग्रता में देखा जाना आवश्यक है।

इस विश्लेषण से कुछ नीतिगत निहितार्थ भी उभरते हैं। पहला, पेसा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक तंत्र को प्रथागत संस्थाओं को प्रतिस्पर्धी के बजाय सहयोगी मानकर कार्य करना चाहिए, जिससे ग्राम सभा की शक्तियाँ केवल काग़ज़ी न रहकर व्यावहारिक धरातल पर उतर सकें। दूसरा, विकास-परियोजनाओं में ग्राम सभा की 'पूर्व-सूचित सहमति' की प्रक्रिया को वास्तविक एवं सार्थक बनाया जाना चाहिए, ताकि जनजातीय समुदायों का विश्वास संवैधानिक तंत्र में बना रहे। तीसरा, महिलाओं की भागीदारी को केवल संख्यात्मक आरक्षण तक सीमित न रखकर, प्रथागत परिषदों में भी उनकी सार्थक भूमिका सुनिश्चित करने हेतु लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक हैं। भावी शोध में सीधी जिले के विशिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में फील्ड-आधारित तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से इस अंतःक्रिया को और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 4
July - August: 2026

संदर्भ सूची (References)

- https://sidhi.nic.in/en/
- https://panchayat.gov.in/en/document/50-reservation-for-women-in-pri-has-been-provided-as-per-the-madhya-pradesh-panchayat-raj-avam-gram-swaraj-sanshodhan-adhiniyam-2007-which-has-been-incorporated-in-the-principal-a/
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1658145
- https://indiatogether.org/wsarp-government/
- PubAdmin Institute। (n.d.)। पंचायत चुनावों में सीटों का आरक्षण।
- https://pubadmin.institute/rural-local-governance/reservation-of-seats-panchayat-elections
- कुरुक्षेत्र (मासिक पत्रिका)। प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
- योजना (मासिक पत्रिका)। प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
- World Bank। (n.d.)। Tribal Development Strategy for MP DPIP II। मध्य प्रदेश जनजातीय विकास रणनीति दस्तावेज़।
- बैगा जनजाति की परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था एवं पेसा अधिनियम। (2022)। ResearchGate।
- मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति का अध्ययन। (2025)। ShodhPatra।
- जनजातियों का राजनीतिक अभिविन्यास: मध्य प्रदेश का जनजातीय समाज का एक अध्ययन। (n.d.)। Shodh Utkarsh।

ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 4
July - August: 2026

- Down to Earth। (n.d.)। Three decades on, PESA struggles to deliver tribal self-governance।
- Census of India। (2011)। A-11 Appendix: District Wise Scheduled Tribe Population, Madhya Pradesh।
- Census of India। (2001)। ST-14: Scheduled Tribe Population by Religious Community, Madhya Pradesh, District Sidhi।
- https://www.mp.gov.in/